सत्र प्रकरण क्रमांक 252/2018
(अभियोजन साक्षी क्र–1)

II-157
C.J.

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

the........day of..........**17.10.2019**..........Witness's apparent age.............**18 वर्ष**.........

States on affirmation...**शपथपूर्वक**.My name is..**मोह0 सलमान उर्फ राजिक**......

Son of ....**मोहम्मद राज**....occupation.................**फोटोग्राफी**...........................

addres........**संतोषीनगर, थाना टिकरापारा, रायपुर जिला रायपुर छ.ग.** ....

1– मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचानता हूॅ। मैं जुबेर चांडल को भी पहचानता हूॅ। जुबेर चांडल की मृत्यू हो चुकी हैं। विगत वर्ष 2018 में गणेश झांकी देखने के लिये मैं, आदिल, अरशद बैजनाथ पारा एजाज ढेबर पंडाल के पास 10:30–11:00 बजे करीब गये थे। वहॉ पर जुबेर भाई एवं मोहल्ले के और भी अन्य लड़के मिले थे। उसी जगह पर हम लोग डांस कर रहे थे। उसी दिन रात्रि करीब 01:30 से 02:00 बजे के करीब डेयर जोन की झांकी के साथ आरोपीगण भी थे। डेयर जोन की झांकी पहुंचने के बाद भी हम लोग नाचने लगे जिस पर अतुल तलमले के द्वारा जुबेर भाई को गाली गलौच किया जाने लगा औरर यह कहा गया कि तुम लोग हम लोग की झांकी में कैसे नाच रहे हो। इस पर जुबेर भाई के द्वारा कहा गया कि हम लोग अन्य झांकी में भी नाच रहे थे। नाचने की बात को लेकर विवाद होने लगा और अतुल लतमले एवं अन्य न्यायालय उपस्थित आरोपीगण जुबेर भाई को झांकी के अंदर खींच कर ले गये और उसे मारपीट करने लगे। हम लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया और जुबेर भाई को वहॉ से एजाज ढेबर के पंडाल के पीछे लेकर गये। जुबेर भाई को एजाज ढेबर के पंडाल के पास कार के पास खड़े किये और हम लोग उसके लिये पानी लेने के लिये गये, उसी बीच न्यायालय उपस्थित सभी आरोपीगण एजाज ढेबर के पंडाल के पास जहॉ जुबेर भाई खड़ा था, पहुंच गये और जुबेर भाई के साथ बेल्ट, लकड़ी से मारपीट करने लगे। न्यायालय उपस्थित पीला जर्सी पहना आरोपी जिसका नाम विवेक सिंग हैं, ने जुबेर का गला को पकड़कर खींचने लगा और

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

गाली गुफ्तार करते हुये उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। हम लोग बीच बचाव करने के लिये वहॉ पहुंचे तो हम लोगों के उपर भी चाकू चलाये थे, चाकू अरशद के पैर में लगी थी। आरोपीगण वहॉ से झांकी की ओर चले गये। जुबेर भाई के ऑख के नीचे, दाहिने पैर में चोट लगी थी। हम लोग उसे मेकाहारा अस्पताल ले गये थे। जहॉ पर चिकित्सक के द्वारा यह बताया गया कि जुबेर भाई की मृत्यू हो गयी है। जुबेर भाई को आयी चोटों से रक्तस्रावित होने के कारण उसकी मृत्यू हुई है।

2– जुबेर भाई को जब गाड़ी मे बिठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब उसके शरीर से निकलने वाला खून मेरे जींस पेंट पर लगा था, उस पेंट की जप्ती पुलिस द्वारा मुझसे की गयी थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–1 हैं, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3– पुलिस ने आरोपीगण की पहचान कार्यवाही के लिये मुझे नोटिस दिया था। उक्त नोटिस प्रदर्श पी–2 हैं, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद तहसील कार्यालय में आरोपीगण के साथ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आरोपीगण की पहचान मेरे द्वारा करायी गयी थी। मैंने आरोपीगण की पहचान की थी। उक्त आधार पर पहचान पंचनामा तैयार किया गया था। पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 हैं, जिनके अ से अ भागों पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– घटना स्थल का नक्शा थाना कोतवाली के पुलिस वाले बनाये थे। घटना स्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी–5 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5– पुलिस को मैंने घटना के संबंध में बयान दिया था।

नोट :– इसी स्तर पर लोक अभियोजक ने साक्षी को नजरी नक्शा तैयार करने के संबंध में सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, अभिलेख अवलोकन पश्चात सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

6– आज मुझे याद नहीं हैं कि प्रदर्श पी–5 का नजरीनक्शा किसके द्वारा बनाया गया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस0के0फरहान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अतुल तलमलेः–

7– मृतक जुबेर चांगल से मेरी रिश्तेदारी नहीं है। जुबेर भाई मेरे दोस्त थे। यह कहना सही है कि आज न्यायालय में जुबेर भाई के पिताजी उपस्थित है। यह कहना सही हैं कि जुबेर का भाई जुनेद न्यायालय में उपस्थित है।

8– यह कहना सही हैं कि घटना जिन लोगों ने कारित किया था, उन लोगों को मैं घ टना के पूर्व से जानता पहचानता नहीं था। पुलिस वालें मुझे पहचान की कार्यवाही के लिये ले गये थे, उसके पूर्व मुझे अभियुक्तगण का नाम मालूम हो गया था। मैं जब जुबेर भाई को अस्पताल लेकर गया था, तब अस्पताल मे मुझे जुनेद ने कहा कि तुम घर चले जाओ, तब मैं उसके कहने पर घर चला गया था। घटना की सुबह 06–07 के बीच मैं बॉस टाल जुबेर भाई के घर गया था, जहॉ मुझे जुबेर भाई के परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुयी थी। वहॉ पर पहुंचने. पर जुबेर भाई के परिवार वालों ने मुझसे पूछा कि घटना कैसे हुई, तब मैंने उन्हें घटना के बारे में बताया। मेरे द्वारा घटना के संबंध में जुबेर के परिवार वालों को बताये जाने के पश्चात् जुबेर के परिवार के किसी सदस्य ने मुझे यह बताया कि इस घटना में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित थे और मुझे उस व्यक्ति द्वारा उन लोगों का नाम उसी समय बता दिया गया था। यह कहना सही हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे घटना कारित करने वालों का नाम बताया था, वह व्यक्ति घटना के समय घटना पर उपस्थित नहीं था। यह कहना सही हैं कि मैंने उस व्यक्ति से यह नहीं पूछा कि उसे घटना कारित करने वालों के नाम की जानकारी कैसे हुयी। स्वतः कहा कि वह घर का बड़ा था, इसलिये उसकी बात पर मैंने विश्वास कर लिया। यह कहना सही हैं कि मुझे आज दिनांक तक इस बात की जानकारी नहीं हुयी कि जिस व्यक्ति ने मुझे घटना कारित करने वालों का नाम बताया था, उस व्यक्ति को उन नामों की जानकारी किस प्रकार हुयी थी। यह कहना सही

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

हैं कि पहचान कार्यवाही के एक दिन पूर्व सुबह 06–07 बजे जिन व्यक्तियों का नाम घटना कारित करने वालों के रूप में बताया गया था, मैंने पहचान कार्यवाही के समय उन्ही नाम वालो की पहचान की कार्यवाही की थी। साक्षी स्वतः कहा कि मैं घटना कारित करने वालों को मौके पर देखा था और पहचान कार्यवाही के समय भी उन्हीं की पहचान की थी।

9– घटना के समय घटना स्थल के पास ही पुलिस भी उपस्थित थी। मैं यह नहीं बता सकता कि पुलिस वाले घटना कारित होते देख रहे थे अथवा नहीं। घटना कारित होने के पश्चात् जुबेर भाई को अस्पताल ले जाते तक पुलिस वाले मेरे समक्ष नहीं आये थे। यह कहना सही हैं कि हम लोग भी पुलिस वालों के पास घटना के तुरंत पश्चात् अथवा घटना के समय नहीं गये थे। हम लोग घटना स्थल से मेकाहारा अस्पताल गये थे, मेकाहारा अस्पताल में मैं एक से ढेड़ घण्टा रूका था। मेकाहारा अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद पुलिस मेकाहारा आ गयी थी। मुझसे पुलिस वालों ने घटना के संबंध में पूछताछ किये थे। मैंने पुलिस वाले को घटना के संबंध में जो बाते बतायी थी, उसे पुलिस वालो ने मेरे सामने लिखा था। अब साक्षी कहता हैं कि मेरे सामने पुलिस ने मेरे द्वारा बतायी गयी बातों को नहीं लिखा था।

इसी स्तर पर न्यायालयीन समय समाप्त होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण आगामी तिथि के लिये रोका गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

नोट :– आज दिनांक 18.10.2019 को साक्षी मोह0 सलमान उर्फ राजिक उपस्थित है, साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर पुनः प्रति परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस0के0फरहान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अतुल तलमलेः–

10– मैं घटना के दिन सुबह 9 से 11 बजे के मध्य थाना कोतवाली गया था। मेरे साथ थाना सिटी कोतवाली अरशद और आदिल भी गये थे। कोतवाली थाना पहुंचने के बाद आदिल ने थाना में बैठकर घटना की रिपोर्ट लिखवायी थी। साक्षी अब कहता है कि घटना की रिपोर्ट मेकाहारा में आदिल लिखवा चुका था। थाने में मुझसे पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिया था। मेरा बयान शिवानंद तिवारी पुलिस वाले ने लिखा था। शिवानंद तिवारी ने मेरा बयान अपने हस्तलिपि में लिखा था और उस बयान को लिखने के बाद तिवारी साहब ने मेरा हस्ताक्षर भी उस बयान पर करवाया था। यह सही है कि मुझे मेरे बयान के पूर्व घटना कारित करने वालों के नाम मालूम हो चुके थे परंतु मैंने बयान के समय उन लोगों के नाम पुलिस को नहीं बताया था। यह सही है कि पुलिस ने मुझसे पूछा था कि घटना कारित करने वाले कैसे दिखते थे। पुलिस ने मुझसे घटना कारित करने वालों की कद, काठी और हुलिया भी पूछा था। यह सही है कि पुलिस व्दारा जब मुझसे यह पूछा गया कि उन व्यक्तियों की कद, काठी, हुलिया किस प्रकार की थी, तब मैंने पुलिस को उन व्यक्तियों की कद, काठी और हुलिया नहीं बतायी थी। स्वतः कहा कि मैंने पुलिस को केवल यह बताया था कि मैं उन्हें केवल चेहरे से पहचानता हूं और उन्हें देखकर पहचान लूंगा, के अतिरिक्त पहचान के संबंध में कोई बात नहीं बतायी थी।

11– मैं स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं करता हूं, अरशद स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करता है। मैं घटना के बाद सुबह के समय जब बांसटाल जुबेर भाई के परिवार में गया था उस वक्त वहां मुझे घटना कारित करने वालों का नाम पता चला था, वहां से मैं मेकाहारा अस्पताल गया था, मेकाहारा अस्पताल में जब मैं गया उस समय वहां पर अरशद और आदिल भी मौजूद थे। मेकाहारा से मैं पुनः वापस बांसटाल आया, उस समय मुझे जुबेर भाई के परिवार के किसी

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

सदस्य ने अपने मोबाईल पर चार लड़कों की फोटो दिखायी थी। यह सही है कि फोटो दिखाकर मुझे यह बताया गया कि इन्हीं लोगों के व्दारा घटना कारित की गयी है। स्वतः कहा कि यह भी बताया गया था कि पुलिस व्दारा उन चारों लडकों को पकड लिया गया है और थाने से पुलिस ने उन लोगों की फोटो मोबाईल पर भेजी है। यह सही है कि जिस समय मुझे मोबाईल पर चार लडकों की फोटो दिखायी गयी थी, उसी समय अरशद और आदिल भी मेकाहारा से बांसटाल आ गये थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अरशद और आदिल को भी चारों लडकों की फोटो दिखायी गयी थी अथवा नही।

12– मैं जिस समय थाने में बयान दे रहा था उस समय मैंने थाने में उन चारो लडकों को नहीं देखा था। दूसरे दिन, दिन में एक से तीन बजे के मध्य तहसील कार्यालय में पहचान की कार्यवाही करायी गयी थी। पहचान के लिए मैं, अरशद और आदिल तहसील कार्यालय गये थे। हम तीनों को पुलिस वाले थाना कोतवाली से अपने साथ लेकर तहसील कार्यालय गये थे। जिस समय हम लोग थाने में बैठे थे, उसी समय हम लोगों को तहसील कार्यालय ले जाने के पूर्व अभियुक्तगण को थाने से तहसील कार्यालय ले जाने के लिए निकाला गया था। स्वतः कहा कि उनका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। अभियुक्तगण के थाने से निकलने के 10–15 मिनट बाद हम लोग भी पुलिस के साथ तहसील कार्यालय के लिए निकले थे। पहचान की कार्यवाही के लिए थाने के लिए हम 6–7 लोग गये थे। हमारे साथ जो लडके गये थे वो किस मोहल्ले के रहने वाले थे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पहचान के लिए मुझे, आदिल और अरशद को पुलिस वाले अंदर कमरे में लेकर गये थे। जिस कमरे में पहचान की कार्यवाही करवायी गयी थी उसमें चारों अभियुक्त उपस्थित थे, उनके अतिरिक्त और कितने लोग थे यह मुझे याद नहीं है। यह सही है कि जिन चार अभियुक्तों की पहचान की कार्यवाही करायी गयी थी वे वही लोग थे जिनकी फोटो मैं मोबाईल पर पहचान की कार्यवाही के एक दिन पूर्व देख चुका था।

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

13– घटना के समय घटनास्थल पर 60–70 लोग थे। यह सही है कि पुलिस ने घटना की सुबह घटना स्थल के आसपास से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया था। यह सही है कि उक्त सीसीटीवी फुटेज को मैंने घटनास्थल वाली दुकान जो राजस्थानी टेलर के सामने स्थित है, वहां पर देखा था। यह सही है कि उक्त फुटेज में घटनास्थल पर अंधेरा जैसा दिख रहा था और कुछ भी स्पष्ट दिखायी नहीं दे रहा था। गवाह का स्वतः कथन है कि उसके अतिरिक्त और भी फुटेज थी। गवाह से यह पूछे जाने पर कि वह फुटेज कैसे बनायी गयी थी और कहां की थी, इस पर साक्षी का कथन है कि जो लोग घटनास्थल पर पर मौजूद थे, उन्होने विडियो शूट किया था और वह शुटिंग जुबेर के साथ पहले जो मारपीट हुई थी उस समय की थी। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पुलिस वालों ने उक्त सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया था क्या, इस पर साक्षी का कथन है कि वह फुटेज यू टयूब में भी डला हुआ है, जिसे आज भी खोलकर देखा जा सकता है।

14– साक्षी से यह पूछे जाने पर कि शिवानंद तिवारी के व्दारा थाना में आपसे पूछताछ कर आपका कथन लेखबद्व किये जाने के पश्चात क्या कभी दुबारा किसी पुलिस वाले ने पूछताछ किया जाकर आपका कथन लेखबद्व किया गया था, इस पर साक्षी का कहना है कि मुझसे अन्य अवसरों पर भी पुलिस व्दारा पूछताछ की गयी थी किंतु मुझे प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण मैं यह नहीं बता सकता कि मुझसे पूछे गये अन्य तथ्यों के संबंध में कोई कथन दुबारा लेखबद्व किया गया था अथवा नहीं।

15– यह सही है कि मैंने पुलिस को अपने बयान के समय यह नहीं बताया था कि डेयरजोन की झांकी के साथ आरोपीगण भी थे। स्वतः कहा कि मैंने पुलिस को यह बताया था कि वे लोग डेयरजोन झांकी के लड़के थे जिन्हें मैं देखकर पहचान लूंगा। यह कहना सही है कि मैंने बयान देते समय अतुल तलमले के नाम गाली देने वाली बात नहीं बतायी थी। साक्षी स्वतः

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

कहता है कि मैंने गाली गलौच करने की बात बतायी थी किंतु शिवानंद तिवारी ने अतुल तलमले का नाम बताते हुए गाली गलौच करने वाले के रूप में उसका नाम लेखबद्व किया था।

16– मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बताया था कि नाचने की बात को लेकर विवाद होने लगा, अतुल तलमले एवं अन्य आरोपीगण जुबेर भाई को झांकी के अंदर खींचकर ले गये और मारपीट करने लगे हम लोगों के व्दारा बीच बचाव किया गया और जुबेर भाई को वहां से एजाज ढेबर के पंडाल के पीछे लेकर गये, जुबेर भाई को एजाज ढेबर के पंडाल के पास कार के पास खडे किये उसी समय न्यायालय उपस्थित सभी आरोपीगण एजाज ढेबर के पंडाल के पास जहां जुबेर भाई खडा था पहुंच गये और जुबेर भाई के साथ बेल्ट , लकडी से मारपीट करने लगे, यदि उक्त बातें मेरे पुलिस बयान **प्रदर्श डी 1** में न लिखा हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी स्वतः कहता है कि आर्य समाज मंदिर के सामने कार खडी थी उसी कार के पास जुबेर टिककर खडा था जहां उसके साथ मारपीट की गयी थी।

17– मैंने पुलिस को बयान देते समय जुबेर का गला पकडने वाले और खींचकर गाली गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी देने वालों में विवेक सिंह का नाम नहीं बताया था क्योंकि मुझे गला पकडने वाले का नाम नहीं मालूम था। स्वतः कहा कि मुझे शिवानंद तिवारी ने थाना में फोटो दिखाकर पूछा था कि इन फोटो में किसके व्दारा गला पकड़ा गया था, गला पकडने वाला का फोटो देखकर बताने पर शिवानंद तिवारी ने यह बताया कि उसका नाम विवेक सिंह है। मैंने पुलिस को बयान के समय यह नहीं बताया था कि हम लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो हम लोगों के उपर भी चाकू चलाये थे। स्वतः कहा कि उक्त बातें अरशद के बयान में है।

18– मैंने पुलिस को बयान देते समय यह नहीं बताया था कि जुबेर भाई के आंख के नीचे चोट लगी थी। यह सही है कि मैं, अरशद, शादाब, आदिल, जुबेर आदि डेयरजोन की झांकी में डांस कर रहे थे। यह सही है कि जिस समय हम लोग डांस कर रहे थे, उस समय डेयरजोन के झांकी के लडकों ने यह कहा था कि हम लोगों की झांकी में क्यों नाच रहे हो। यह सही है

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

कि हम लोगों ने उन लडकों से कहा था कि हम लोग सभी झाकियों में डांस कर रहे है परंतु किनारे किनारे डांस कर रहे है। यह सही है कि झांकी में नाचने की बात को लेकर हम लोगों और डेयरजोन के लडकों के मध्य वाद विवाद हो गया। यह सही है कि उक्त वाद विवाद के बाद हम लोगों ने जुबेर को आर्य समाज मंदिर की तरफ भेज दिया था। यह कहना गलत है कि जुबेर आगे आगे आर्य समाज मंदिर की ओर गया और हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। साक्षी स्वतः कहता है कि हम लोग जुबेर को आर्य समाज मदिर के सामने खडी कार के पास लेकर उसे वहां छोडकर उसके लिए पानी लेने जा रहे थे, तभी न्यायालय उपस्थित आरोपीगण वहां वापस आ गये और गाली गलौच करते हुए जुबेर के साथ मारपीट करने लगे।

19– ऐसा नहीं हुआ कि मैं और अन्य दोस्त समझाकर जुबेर भाई को रोड से आर्य समाज मंदिर तक भेज दिये और हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे तभी चार अज्ञात लडके जो कद, काठी में मेरे जैसे है, पीछे से आकर जुबेर भाई को घेरकर मुंह, पेट पर हाथ और पैर से मारने लगे। मैंने पुलिस को प्रदर्श डी 1 के बयान के समय यह नहीं बताया था कि मैं और अन्य दोस्त समझाकर जुबेर भाई को रोड से आर्य समाज मंदिर तक भेज दिये और हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे तभी चार अज्ञात लडके जो कद, काठी में मेरे जैसे है, पीछे से आकर जुबेर भाई को घ ेरकर मुंह, पेट पर हाथ और पैर से मारने लगे, पुलिस ने प्रदर्श डी 1 के अ से अ भाग पर उक्त बातें कैसे लिखी है मैं कारण नहीं बता सकता।

20– मेरी लंबाई 5 फीट 1 या 2 इंच होगी।

प्रश्न :– कद, काठी से आप क्या समझते हो ?

उत्तर :– कद, काठी का मतलब समान उंचाई और शरीर से है।

21– यह सही है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरी कद, काठी के नहीं है। स्वतः कहा कि घटना के समय घटना कारित करने वालों को देखा था इसलिए अपनी कद, काठी का बताया था। न्यायालय में देखने पर वे मेरे उंचाई में लगभग समानता रखते हैं लेकिन शरीर में

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**..........Deposition taken

भिन्न है। यह कहना गलत है कि घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण मैंने घटना कारित करने वालों को नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि शिवानंद तिवारी व्दारा जिन लोगों को घटना में सम्मिलित होने के बारे में बताया गया था, मैं उन्हीं लोगों को शिवानंद तिवारी के बताए अनुसार घटना कारित करने वालों के रूप में पहचान कर रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि चूंकि मुझे फोटो दिखाकर पुलिस व्दारा यह कहा गया था कि इन्हीं लोगों की पहचान करना है, इसलिए मैंने जुबेर के परिवार वालों एवं पुलिस वालों के सिखाने से अभियुक्तगण की पहचान की है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है। यह कहना भी गलत है कि मैं सिखाने से झुठा बयान दे रहा हूं।

टीप :– इसी स्तर पर चायकाल का समय होने से साक्षी का शेष अभियुक्तों की ओर से प्रति परीक्षण चायकाल समय तक के लिए स्थगित किया गया।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

टीप :–चायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर प्रति परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रवि शर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विवेक सिंहः–

22– आज मेरे साथ अरशद भी न्यायालय आया हुआ है, अभी वह न्यायालय के बाहर बैठा हुआ है, सबेरे से हम दोनों साथ में है और चायकाल के समय हम दोनों साथ में बैठे थे। मुख्य मार्ग से आर्य समाज मंदिर लगभग सौ फीट की दूरी पर है और एजाज ढेबर का पंडाल मुख्य मार्ग पर ही था। एजाज ढेबर के पंडाल में काफी लोग बैठे थे मैं उनकी निश्चित संख्या नहीं बता सकता। एजाज ढेबर के पंडाल में हर वर्ग के एवं हर तरह के लोग बैठे हुए थे। यह

कहना गलत है कि एजाज ढेबर के पंडाल से आर्य समाज मंदिर दिखता था।

23– यह कहना सही है कि जिन लोगों से हमारा विवाद हुआ था वह एजाज ढेबर के पंडाल के बाजू में हुआ था। यह कहना सही है कि गणेश झांकी का समय था इसलिए मालवीय रोड में हजारों की संख्या में लोग थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि लाखों की संख्या में लोग थे। यह कहना सही है कि वहां लोगों की व्यवस्था के लिए हजारों की संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद थे। यह कहना सही है कि थाना कोतवाली, आर्य समाज मंदिर और एजाज ढेबर के पंडाल से लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। यह कहना सही है कि उससे भी कम दूरी पर थाना गोल बाजार स्थित है। यह कहना सही है कि इस घटना के बाद मौके पर बहुत भीड़ इक्ट्ठी हो गयी थी। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पहली घटना के समय पुलिस वाले मौके पर पहुंच गये थे, इस पर साक्षी का कहना है कि घटना होने के थोड़ी देर बाद आये थे।

24– अरशद को मैं अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल नहीं ले गया था लेकिन मैं जुबेर भाई को लेकर अस्पताल ले गया था, उस समय लगभग 1.40 बजे का समय था। मैं नहीं बता सकता कि अरशद का अस्पताल में इलाज हुआ कि नहीं। मैं अरशद के साथ अस्पताल से वापस नहीं आया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अरशद ने फोन करके अस्पताल में अपने 20–25 साथियों को बुला लिया था। यह सही है कि अरशद का डाक्टरों के साथ झगडा, विवाद हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अरशद अस्पताल से बिना इलाज कराये भाग गया था। यह कहना गलत है कि अरशद अस्पताल से बिना इलाज कराये इसलिए भाग गया था कि क्योंकि उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी। यह कहना गलत है कि अरशद अस्पताल से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसे डाक्टर लोग पकड न ले, पब्लिक पीट न दे और जेल न चला जाये। यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी हुई थी कि डाक्टरों ने काम बंद कर दिया था और धरने में बैठ गये थे। यह कहना सही है कि डाक्टरों की रिपोर्ट पर अरशद और उसके साथियों के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। यह कहना गलत है कि अरशद के साथ

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

अस्पताल में उपद्रव मचाने वालों में मैं भी शामिल था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपद्रव मचाने वालों में अरशद के साथ साथ जुबैद अली, मोहम्मद आसिफ, फहाद खान, अब्दुल वसीम, मोह0 रसीम खान भी शामिल थे। यह कहना गलत है कि अरशद के व्दारा उक्त प्रकरण में जमानत करवायी गयी थी।

25– मुझे इस बात की जानकरी नहीं है कि अरशद अस्पताल से कब वापस आया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अरशद अस्पताल से आने के बाद पुनः इलाज कराने अस्पताल गया या अपने घर गया या थाने गया था। यह कहना सही है कि झांकी में जितने लोग उस एरिया में घटना को देखे थे वे सभी मेकाहारा पहुंच गये थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के बाद हमारे समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया था या नहीं। मैं पहचान कार्यवाही में उपस्थित केवल फहाद खान को जानता हूं। मैं सैययद सहनवाज अली, जुबैर अली, मोह0 आसीफ, अब्दुल रसीम, मो. वसीम को नहीं जानता हूं। मैं मोबाईल चलाता हूं, मेरे मोबाईल का नंबर 8889781302 है। मैं अपने उक्त मोबाईल को लगभग डेढ साल से चला रहा हूं। अरशद स्मार्ट फोन चलाता है। अरशद फेस बुक नहीं चलाता है, बल्कि वह इंस्टाग्राम चलाता है।

26– अस्पताल से आने के लगभग आधा घंटा बाद मैं थाना गया था। मैं अस्पताल से कब वापस आया आज निश्चित समय याद नहीं है। मैं आज यह भी नहीं बता सकता कि अस्पताल से कितने बजे आया था। अरशद से मेरी मुलाकात बांसटाल में हुई थी, तब लगभग लगभग सुबह हो रहा था। अरशद से मेरी बातचीत हुई थी, मैने अरशद से पूछा था कि कहां चोट लगी है, तब अरशद ने मुझे अपनी चोट दिखाया था। यह कहना सही है कि अरशद के सिर्फ पैर में चोट लगी थी।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्र महापात्र अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अमित बावरिया:–

27– कुछ नहीं।

II-157
C.J.

Witness no. ....**01**.............for ....**अभियोजन साक्षी**...........Deposition taken

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रदीप गिरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सुमेर सिंह ठाकुर उर्फ गोलूः–

28– कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

(सुनील कुमार नंदे)
अपर सत्र न्यायाधीश
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर ....